प्रेस नोट दिनांक 01.11.2025 जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

सोशल मीडिया पर असलहा लहराने वाले हिस्ट्रीशीटर अपराधी की गिरफ्तारी — थाना पट्टी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 01 पिस्टल व 03 जिन्दा कारतूस बरामद

अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट,एससी एसटी एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त को चार पहिया वाहन के साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत भरोखन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया-

प्रतापगढ।
सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा अवैध असलहे लहराते हुए फोटो वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई, जांचोपरांत उक्त व्यक्ति की पहचान अमित सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई, जो थाना पट्टी का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है एवं जिसके विरुद्ध पूर्व से अनेक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना पट्टी पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर मु0अ0सं0 167/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अमित सिंह उपरोक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 कमलेश कुमार मय हमराह हे0का0 विनोद कुमार सिंह व का0 गुलशन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0अ0सं0 167/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त अमित सिंह पुत्र अरूण सिंह निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 45 वर्ष को 01 अदद पिस्टल 32 बोर जिसकी मैग्जीन खोलकर देखा गया तो मैग्जीन में 03 अदद जिंदा कारतुस 32 बोर के साथ थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत भरोखन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अमित सिंह पुत्र अरूण सिंह निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त अमित सिंह पुत्र अरूण सिंह निवासी ग्राम सलाहपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 45 वर्ष (हिस्ट्रीशीट नं0- 128A) का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 54/03 धारा 307 504 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 174/05 धारा 3(2,) गुंडा एक्ट थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 253/07 धारा 147/323/504/506/435/427 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 170/09 धारा 147/148/504/506/452/327/427 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 299/13 धारा 323/54/506 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 284/16 धारा 147/323/504/506/427/452 भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0 21/20 धारा 323/325/504/506/427भादवि व 3(1)द SC/ST एक्ट थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
08. मु0अ0सं0 444/23 धारा 147/149/427/504/506/323भादवि थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0 167/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 कमलेश कुमार मय हमराह हे0का0 विनोद कुमार सिंह व का० गुलशन कुमार थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
घरेलू विवाद के दौरान मासूम की गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद-

प्रतापगढ़।
*दिनांक 29.10.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुलनार में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच घरेलू विवाद एवं मारपीट की घटना हुई थी। इस दौरान वादी की तीन वर्षीय पुत्री गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार हेतु लखपेड़ा स्थित निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा तीन वर्षीय पुत्री को मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 201/2025 धारा 103(1), 115(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान प्रकरण में तथ्यों के आलोक में विधिक परीक्षण उपरांत उक्त धाराओं को धारा 3(5)/105/115(2)/352 बी.एन.एस. में संशोधित (तरमीम) किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा* के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.11.2025 को प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह भदौरिया थाना संग्रामगढ़ मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त कटियार, म0का0 पूजा यादव, का0 विक्रम सिंह एवं का0 पंकज सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे।

इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गोदाही चौराहा पर दबिश दी गयी, जहाँ से *मु0अ0सं0 201/2025 धारा 3(5)/105/115(2)/352 बी.एन.एस. में नामजद अभियुक्तगण –01. होरीलाल पुत्र छोटे लाल, उम्र 30 वर्ष, 02. अंकित पुत्र ओमप्रकाश, उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी ग्राम गुलनार, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :

01. होरीलाल पुत्र छोटे लाल, उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम गुलनार, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़
02. अंकित पुत्र ओमप्रकाश, उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम गुलनार, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़
पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह भदौरिया मय हमराह उ0नि0 प्रशान्त कटियार, म0का0 पूजा यादव व का0 विक्रम सिंह व का0 पंकज सिंह थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा इस प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए संबंधित को त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना कर अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
थाना बाघराय पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह का0 सचिन ठेनुआ व का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 174/25 धारा 2/3 यू0पी गैंगेस्टर एक्ट थाना बाघराय से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र सुरेश नि0 पुरानी आबकारी सदर मोड़ चौकी मकन्दुगंज थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भिटारी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

इनामिया अभियुक्त का विवरण-
चन्दन कुमार पुत्र सुरेश उर्फ चुन्नी लाल नि0 पुरानी आबकारी सदर मोड़ चौकी मकन्दुगंज थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।

इनामिया अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र सुरेश नि0 पुरानी आबकारी सदर मोड़ चौकी मकन्दुगंज थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 338/24 धारा 3/5क/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11(1)डी पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 174/25 धारा 2/3 यू0पी गैंगेस्टर एक्ट थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह का० सचिन ठेनुआ व का0 मनोज कुमार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।